

विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 30

विदेश मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

		बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़		365.60	2454.54	2820.14	335.60	2545.18	2880.78	402.00	2636.99	3038.99	
		<i>234.40</i>	<i>183.80</i>	<i>418.20</i>	<i>214.40</i>	<i>104.82</i>	<i>319.22</i>	<i>248.00</i>	<i>123.01</i>	<i>371.01</i>	
		600.00	2638.34	3238.34	550.00	2650.00	3200.00	650.00	2760.00	3410.00	
1.	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	123.70	123.70	...	123.67	123.67	...	129.40	129.40
2.	विदेश कार्य										
2.1	राजदूतावास और मिशन	2061	...	787.82	787.82	...	783.54	783.54	...	811.43	811.43
2.2	पासपोर्ट और उत्सववास	2061	...	101.23	101.23	...	93.76	93.76	...	103.87	103.87
2.3	प्रशिक्षण	2061	...	2.15	2.15	...	2.15	2.15	...	2.15	2.15
2.4	विशेष राजनयिक व्यय	2061	...	785.01	785.01	...	795.01	795.01	...	824.52	824.52
2.5	अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें	2061	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.17	1.17
2.6	मनोरंजन प्रभार	2061	...	24.50	24.50	...	24.50	24.50	...	26.00	26.00
2.7	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2061	...	40.37	40.37	...	38.24	38.24	...	39.12	39.12
2.8	अन्य व्यय										
(क)	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अनुदान	2061	...	42.43	42.43	...	42.00	42.00	...	54.50	54.50
(ख)	युद्ध/नागरिक अशांति के कारण भारतीयों का विस्थापन	2061	...	0.05	0.05	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
(ग)	भारत-फ्रांस मंच	2061	...	0.50	0.50	...	0.40	0.40	...	0.45	0.45
(घ)	अन्य विविध मदें	2061	...	24.44	24.44	...	25.60	25.60	...	29.28	29.28
जोड़-अन्य व्यय				67.42	67.42		68.02	68.02		84.25	84.25
जोड़-विदेश कार्य				1809.70	1809.70		1806.42	1806.42		1892.51	1892.51
3.		2070	21.93	21.93	...	35.00	35.00
4.	विविध सामान्य सेवाएं - मुद्रा हानि	2075	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
5.	अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को अग्रिम										
(१)	बंगलादेश	3605	...	10.00	10.00	...	2.50	2.50	...	20.00	20.00
		7605	...	80.00	80.00	...	40.00	40.00	...	20.00	20.00
	कुल		...	90.00	90.00	...	42.50	42.50	...	40.00	40.00
(२)	भूटान	3605	365.60	231.45	597.05	335.60	231.45	567.05	402.00	242.00	644.00
		7605	234.40	...	234.40	214.40	...	214.40	248.00	...	248.00
	जोड़		600.00	231.45	831.45	550.00	231.45	781.45	650.00	242.00	892.00
(३)	नेपाल	3605	...	107.25	107.25	...	78.99	78.99	...	92.16	92.16
		7605	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	कुल		...	107.26	107.26	...	79.00	79.00	...	92.17	92.17
(४=)	श्रीलंका	3605	...	18.00	18.00	...	5.00	5.00	...	20.00	20.00
(=)	मालदीव	3605	...	9.00	9.00	...	5.00	5.00	...	8.00	8.00
(=?)	म्यांमार	3605	...	18.13	18.13	...	5.50	5.50	...	9.00	9.00
(=??)	अन्य विकासशील देश	3605	...	116.55	116.55	...	252.71	252.71	...	170.91	170.91
(=???)	अफ्रीकी देशों को सहायता	3605	...	5.25	5.25	...	8.00	8.00	...	9.00	9.00
(?!)	मध्य एशिया	3605	...	5.50	5.50	...	4.00	4.00	...	9.00	9.00
	कुल		600.00	601.14	1201.14	550.00	633.16	1183.16	650.00	600.08	1250.08
6.	लोक निर्माण कार्य	4059	...	67.20	67.20	...	22.66	22.66	...	68.00	68.00
7.	आवास	4216	...	36.59	36.59	...	42.15	42.15	...	35.00	35.00
कुल जोड़			600.00	2638.34	3238.34	550.00	2650.00	3200.00	650.00	2760.00	3410.00
ग.	आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं. जोड़	
केन्द्रीय योजना		13605	600.00	...	600.00	550.00	...	550.00	650.00	...	650.00

1. **सचिवालय** - इसमें विदेश मंत्रालय के सचिवालय तथा विदेशों में प्रचार कार्य पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **विदेश मामले:**

2.1 **राजदूतावास तथा मिशन** - इसमें विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 161 मिशनों/केन्द्रों के व्यय का प्रावधान किया गया है जिनमें चालू वित्तीय वर्ष में नए खुले मिशन/केन्द्र अर्थात् काबुल, मंडाले, हेरात, मज़ारे शरीफ, कंधार तथा जलालाबाद शामिल हैं, के लिए व्यय का प्रावधान किया गया है।

2.2 **पासपोर्ट और उत्सवास** - यह प्रावधान मुख्य रूप से पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम, मशीन पठनीय पासपोर्ट पुस्तिकाओं (एमआरपी पुस्तिकाएं) तथा जम्बो पासपोर्ट पुस्तिकाओं के मुद्रण, पासपोर्ट आवेदन प्रपत्रों, वीसा स्टीकरों, इंडेक्स कार्ड की आंकड़ा प्रविष्टि, पासपोर्ट लेखन मशीन तथा नए खोले गए पासपोर्ट कार्यालयों/संग्रहण केन्द्रों के कारण व्यय, बढ़े हुए किरायों आदि की पूर्ति के लिए है।

2.3 **प्रशिक्षण** - इस शीर्ष के अंतर्गत विदेश सेवा संस्थान द्वारा भारतीय और विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2.4 **विशेष राजनयिक व्यय** - इसमें विवेकाधीन व्यय का प्रावधान किया गया है।

2.5 **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें** - यह प्रावधान भारत में आयोजित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों पर व्यय के लिए है। दो नई सेवाएं खोली गई हैं अर्थात् भारत-रूस विशिष्ट व्यक्ति समूह तथा भारत-चीन विशिष्ट व्यक्ति समूह।

2.6 **मनोरंजन प्रभार** - यह प्रावधान मुख्यतः आने वाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरों से संबंधित सेवाओं की लागत, भारतीय वायु सेना के एयरलिफ्ट प्रभारों तथा हैदराबाद हाऊस के उन्नयन तथा मरम्मत कार्य के लिए है।

2.7 **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके अभिकरणों, राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल फाउंडेशन, सार्क सचिवालय, स्कैप कार्यक्रम तथा एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग परिषद को किए जाने वाले अनिवार्य अंशदान

के लिए प्रावधान किया गया है। प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए के संभावित मूल्यहास के कारण रुपए में अंशदान में होने वाली वृद्धि के कारण बढ़ोतरी की गई है।

2.8 **अन्य व्यय:** इसमें पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के सीमांकन, उप-राष्ट्रपति के विदेशी दौरों, हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डलों, विदेश मंत्रालय के होस्टलों, विभिन्न संस्थाओं को अनुदान सहायता, विदेशों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं। इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर) के विस्तार क्रियाकलापों यथा विदेशों में नए सांस्कृतिक केन्द्र/पीठों की स्थापना तथा विदेश के विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्तियों की वर्धित लागत, भारतीय विश्व मामला परिषद् को अनुदान तथा अंतर्राष्ट्रीय शांतिरक्षा प्रशिक्षण पर व्यय हेतु चालू वर्ष के लिए 42.43 करोड़ रुपए और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 54.50 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए 6.65 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

3. **केन्द्रीय अधिनियमों तथा विनियमों के प्रशासन के लिए अन्य प्रशासनिक सेवाएं:** इसमें राज्य सरकारों/संघ प्रदेशों को पासपोर्ट कार्य के संग्रहण, सत्यापन तथा अन्य संबंधित सेवाओं के लिए भुगतान संबंधी व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

4. **मुद्रा हानि :** इस शीर्ष के अंतर्गत एक करेंसी से दूसरी करेंसी में रूपांतरण करने आदि के कारण विदेश स्थित हमारे मिशनों/चौकियों द्वारा उपगत निवल हानि के लिए प्रावधान किया गया है। चूंकि आवश्यकता का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत केवल सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

5. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग :** यह प्रावधान विभिन्न द्विपक्षीय करारों तथा अन्य विशेष कार्यक्रमों के तहत पड़ोसी और अन्य विकासशील देशों को तकनीकी और आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया है।

6 और 7. **लोक निर्माण एवं आवासन :** यह प्रावधान मुख्य रूप से विदेशों में रिहायशों एवं कार्यालयों के अधिग्रहण/निर्माण तथा रख-रखाव के लिए है।